प्रमंडलीय सभागार में रेरा बिहार ने की संवेदीकरण-सह-अभिमुखीकरण कार्यशाला

रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला व निगम प्रशासन की भूमिका अहम

प्रतिनिधि, मुंगेर

फ्लैट व भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 को लागू किया गया है. जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्यूनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उक्त बातें भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कही.

संवेदीकरण-सह-अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित : विवेक कुमार सिंह बुधवार को प्रमंडलीय सभागार में रेरा बिहार की ओर से आयोजित संवेदीकरण-सह-अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन कर रहे थे. मौके पर मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे. उन्होंने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा में जिला प्रशासन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि उन्हें न सिर्फ अधिनियम के प्रावधानों कर उल्लंघन करने वाले प्रमोटर्स के विषय में प्राधिकरण को सूचित करना है बल्कि जो प्रमोटर रेरा के आदेश के बाद भी घर खरीदारों का पैसा नहीं लौटते हैं. उनके विरुद्ध लोक अधिनियम के तहत कार्रवाई भी करनी है. आयुक्त ने कहा कि रेरा से संबंधित लोक शिकायत मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कदम उठाये जाएंगे. प्रमंडल के प्रत्येक जिले में एक वरीय पदाधिकारी को इसकी जिम्मेवारी दी जायेगी.

अभिमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते रेरा बिहार के अध्यक्ष.

कई जिलों के अधिकारियों ने रखे अपने विचार

जमुई की डीएम अभिलाषा शर्मा, मुंगेर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह, बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला, खगड़िया के प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उपविकास आयुक्त अभिषेक पलासीया, शेखपुरा के डीएम आरिफ-अहसन एवं लखीसराय के डीएम मिथिलेश मिश्रा ने अपने विचार इस कार्यशाला में व्यक्त किये. रेरा अध्यक्ष को यह भरोसा दिलाया कि उनके स्तर से रेरा प्रावधानों की अवहेलना करने वालों के विषय में नियमित सूचना दी जायेगी. मौके पर रेरा बिहार की एक टीम द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रेरा बिहार के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गयी.